

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-143/2018/4406/दो-2-2018-28/2(18)/2018
लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018
आदेश

- श्री रामयश, पी0सी0एस0, से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-76376 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
- 2- श्री रामयश, पी0सी0एस0, से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-19/मिलान डायरी-431/85887, दिनांक 03.17.2018 के अनुसार वर्ष-2017-2018 तक कुल जमा धनराशि रू0-25,24,061/- (रू0-पच्चीस लाख चौबीस हजार इकसठ मात्र) जिसमें माह 3/17 तक ब्याज दिया गया है, की 90 प्रतिशत धनराशि रू0- 22,71,654.90 अर्थात रू0 22,71,655.00 (रूपये बाइस लाख इकहत्तर हजार छः सौ पचपन मात्र), के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री रामयश, पी0सी0एस0, से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- जिलाधिकारी,फैजाबाद(अयोध्या)को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री रामयश, पी0सी0एस0,तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी,फैजाबाद(अयोध्या)सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90 प्रतिशत से अधिक न हो।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद(अयोध्या)
- 4- श्री रामयश पी0सी0एस0,से0नि0,पता-247-ए/6-ए/5,ओम गायत्री नगर, तेलियरगंज, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।